पत्र संख्या–15/डी0एल0ए0 समस्तीपुर (एस0एच0–88)–148/2013– **पटना–15, दि0–**

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं0.......................... डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर – 1833/रा0 दिनांक – 18-07-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कल्याणपुर बमैया चादर नं0–3, परगना–सरैसा, थाना–दलसिंहसराय, थाना नं0–08, जिला–समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् वरूणापुल से रसियारी पथ राज्य उच्च पथ सं0–88 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम कल्याणपुर बमैया चादर नं0–3 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश **1.0855** एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 8504, 8502, 8500, 9925, 9926, 8803, 8804, 8578, 8581, 8582, 8585, 8586, 8590, 5195, 5199, 5200, 5202, 5223, 5221, 5214, 5216, 5211, 5212, 5559, 5555, 5557, 5542, 5541, 5539, 5534 एवं पूर्ण खेसरा सं0 5196, 5197, 5198, 5222, 5220, 5219, 5218, 5217 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

खण्ड–"अ"	खण्ड–"ब"	खण्ड–"स"
उत्तर :– अंश खेसरा सं0 8804, 8803, 8590, 8586, 8585, 8582, 8581, 8578, 8501, 8502, 8498, 8504	उत्तर :– बस्ती चादर अंश खेसरा 5559, 5555, 5556, 5557, 5542, 5541, 5540, 5539, 5534 एवं मिलान चादर नं0–3	उत्तर :– बस्ती चादर वो अंश खेसरा सं0 5195, 5224 एवं नदी।
पूरब :– सीमा रेखा ग्राम कल्याणपुर चादर नं0–4	पूरब :– सीमा रेखा ग्राम कल्याणपुर चादर नं0–3	पूरब :– नदी
दक्षिण :– अंश खेसरा सं0 8501, 8498, 10302, 9925, 9926	दक्षिण :– एस0 एच0 88	दक्षिण :– अंश खेसरा सं0 5195, 5199, 5202, 5221, 5216, 5214 एवं 5211
पश्चिम :– सीमा रेखा ग्राम कल्याणपुर बस्ती।	पश्चिम :– मिलान चादर नं0–3 एवं नदी	पश्चिम :– सीमा रेखा ग्राम कल्याणपुर चादर नं0–2 एवं मुख्य सड़क एस0 एच0 88।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 (यथा बिहार अधिनियम 11, सन् 1964 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा उनके स्टाफ इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे प्रबंधक (तकनीकि) पी0 आई0 यू0–3 बी. एस. आर. डी. सी. एल. समस्तीपुर के पदाधिकारी और उनके स्टाफों को प्राधिकृत करती है के वे भूमि पर प्रवेश कर इसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने सभी कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की यह राय है कि उक्त भूमि का तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि धारा 5 अ0 के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

जिला भू–अर्जन पदा0
समस्तीपुर।

अपर समाहर्त्ता
समस्तीपुर।
28/5/2013

समाहर्त्ता
समस्तीपुर।

ज्ञापांक -1833/रा० / डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना, दिनांक - 18-07-13

प्रतिलिपि : (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को अधिसूचना के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू–अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को अधिसूचना के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/दलसिंहसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त

17/7/13

सरकार के अवर सचिव